न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

R- 3795 - I/12

प्रेमलाल तनय रामखेलावन वैसवार, निवासी ग्राम धरसड़ा, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली म०प्र० - . — आवेदक

बनाम

1- रामाधार तनय कैरा धरकार

~~2- श्रीमती सुल्तानी देवी पत्नी प्राणनाथ वैसवार~~

3- केसरी तनय भीखम धरकार

सभी निवासी ग्राम धरसड़ा, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली म०प्र०० ——— अनावेदकगण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली म०प्र०, के प्रकरण क्र. 95/निगरानी / 2011-12, आदेश दिनांक 4.9.12,

=================================

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 ई. ।

=================================

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि विवादित भूमियों का व्यवस्थापन भूमिहीन कृषक आवेदक के होने से नायब तहसीलदार अपने प्रकरण क्र. 70/अ-19{4} 1983-84 के अन्तर्गत हुआ था । व्यवस्थापन विधिवत सुनवायी करने के पश्चात भूमिहीन कृषक होने से प्रक्रिया का पालन करते हुये आवेदक

XXXIX(a)-BR(H)-11

59

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R**–3795-**I**/12 जिला–सिंगरौली

प्रेमलाल वैसवार/रामाधार धरकार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 95/निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 04.09.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	